

कार्यालय, प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर(अग्रणी)महाविद्यालय खरगोन(म.प्र.)

क्रमांक/ 710 /छात्रवृत्ति/21

खरगोन दिनांक 22.03.2021

प्रति,

सहायक आयुक्त,  
आदिवासी विकास विभाग,  
खरगोन (म.प्र.)

विषय:- अनुसूचित जाति के नवीन छात्र-छात्राओं की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृति/वितरण वर्ष 2018-19।

उपरोक्त विषय में लेख हैं कि, इस महाविद्यालय में सत्र 2018-19 में नियमित रूप से अध्ययनरत् अनुसूचित जाति नवीनीकरण की 01 छात्रा को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृत कर आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्न:-1, अजा नवीनीकरण-स्वीकृति आदेश क्र./आ.जा.का./पी.एम.एस /1279219  
दिनांक 30.01.2021

*Sekubh*  
23/3/2021

डॉ.आर.एस. देवड़ा

प्राचार्य

शाखा, स्नातकोत्तरविद्यालय खरगोन

खरगोन

07282-241562

स्वीकृति आदेश क्र./आ.जा.का./पी.एन.एस./1279219

खर्गोन - दिनांक - 30/01/2021

**विषय :- पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER)**

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के प्रवर्धनों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त परस्पर के आंतर पर सलमन सूची अनुसार छात्र / छात्राओं को पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। बजट आवंटन उपलब्ध होने पर योजना अंतर्गत देय निम्नानुसार वृत्तियों की स्वीकृत राशि विद्यार्थियों के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिकी ट्रान्सफर के द्वारा प्रदाय की जायेगी।

वैधानिक वर्ष	2018-19
शिक्षण संस्था	Govt P G College Khargone
वर्ग	SC स्वीकृति प्रकार : Renewal Cases कुल नामांकित छात्र/छात्राओं की संख्या : 1
स्वीकृत राशि	1. निर्वह भत्ता : 3600 2. शिक्षण शुल्क सहित देय सभी Non Refundable अभिवाद्य शुल्क सहित : 3265
	कुल : 6865

राजकीय संस्था प्रमुख स्वीकृति के उपरान्त आहरण हेतु एवं अधिसूचीय संस्थाओं के मागने में जोड़ल संस्था परीक्षण के उपरान्त स्वीकृति एवं आहरण हेतु प्रत्येक विभाग के जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। यह स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन जारी की जाती है -

1. यह स्वीकृति विद्यार्थियों के संस्था में नियमित उपस्थिति (छात्रवृत्ति स्वीकृति दिनांक तक न्यूनतम 75 प्रतिशत), सरोपष्ट अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा छी गई जानकारी गलत पाई जाती है एवं सकल तक 75 प्रतिशत उपस्थिति नहीं रहती है, तो उन्हें स्वीकृत छात्रवृत्ति रद्द की जायेगी।
2. यह स्वीकृति इस आधार पर जारी की जा रही है की संस्था प्रमुख द्वारा विद्यार्थियों का प्रवेश मूल टी.सी./माइग्रेसन प्रमाण पत्र के आंतर पर लिया गया है। अन्यथा की स्थिति में संस्था प्रमुख इसके लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
3. किसी भी विद्यार्थी को एक से अधिक छात्रवृत्ति का भुगतान न हो इसका उत्तरदायित्व भी संस्था प्रमुख का होगा। छात्रवृत्ति को सर्वोत्तीकरण के प्रकरण में पूर्व वर्ष की उतीर्ण की अभिसूची छात्र के आवंटन पत्र में सम्मिल कराई जायेगी।

Government of Madhya Pradesh

Post Metric Scholarship for Govt P G College Khargone

(Category -SC)

Sanction Order : 1279219 For Academic Year : 2018-19 , Sanction Date : 30/01/2021

(Renewal Cases)

4. छात्रवृत्ति इच्छा ज्ञाती प्रमाण पर के आधार पर स्वीकृत की गई है यह उत्पादकित भी संस्था प्रमुख/नोडल संस्था प्रमुख का होगा।
  5. छात्रवृत्ति स्वीकृति से पूर्व विद्यार्थी को जिला अधिकारी/कॉलेज के उपस्थित एवं आय की पुष्टि संस्था प्रमुख द्वारा की जायेगी। मैनेजमेंट काटे से प्रेषित विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी।
  6. शासकीय संस्थाओं के संस्था प्रमुख अपने संस्था के छात्रों की छात्रवृत्ति स्वयं स्वीकृत करने के लिए अधिकृत हैं। अशासकीय संस्थाओं के छात्रों की स्वीकृति नोडल शासकीय संस्था प्रमुख की अनुमति पर सहीन प्रकरणों में जिले के कलेक्टर द्वारा एवं स्वयंसेवा के प्रकरणों में आदिन जारी कल्याण विभाग के जिला अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेगी।
  7. छात्रवृत्ति की उक्त स्वीकृति इस आधार पर जारी की जा रही है कि संबंधित संस्था प्रमुख एवं नोडल संस्था प्रमुख (शासकीय संस्थाओं के मामले में) को पॉ. मेट्रिक छात्रवृत्ति नियमों का मनीमार्ति ज्ञान है एवं उनके द्वारा इस संबंध में शासन द्वारा समय - समय पर जारी समस्त नियम निर्देशों का स्वीकृति से पूर्व पालन किया गया है।
  8. विद्यार्थी के वैधानिक छात्रा इत्यादि में प्राप्त होने वाली संस्था की शिक्षण शुल्क सहित अनिवार्य शुल्क विद्यार्थी द्वारा वैधानिक संस्था में जमा कराया जायेगा। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो आगामी वर्ष की छात्रवृत्ति विद्यार्थी के द्वारा संस्था को शिक्षण शुल्क जमा कराने के बाद ही स्वीकृत की जायेगी।
- संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची।

प. प्रशासक/आ. ज. क. पी.एम. दरार/1279219/

प्रतिनिधि-

1. आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास विभाग, इगमहा हिल्स, भोपाल, म.प्र.
2. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला- खरगोन
3. प्राचार्य, Govt P G College Khargone

  
हस्ताक्षर/आ. ज. क. पी.एम. दरार/1279219/  
स्वीकृत/आ. ज. क. पी.एम. दरार/1279219/  
खरगोन  
07282-241562-2021

  
हस्ताक्षर/प्राचार्य/द.म.प्र.  
स्वीकृत/आ. ज. क. पी.एम. दरार/1279219/  
खरगोन  
07282-241562

कार्यालय, प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर(अग्रणी)महाविद्यालय खरगोन(म.प्र.)

क्रमांक: 708 / छात्रवृत्ति/21

खरगोन दिनांक 22.03.2021

प्रति,

सहायक आयुक्त,  
आदिवासी विकास विभाग,  
खरगोन (म.प्र.)

विषय:- अनुसूचित जाति के नवीन छात्र-छात्राओं की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृति/वितरण वर्ष 2019-20।

उपरोक्त विषय में लेख है कि, इस महाविद्यालय में सत्र 2019-20 में नियमित रूप से अध्ययनरत अनुसूचित जाति नवीन के 02 छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृत कर आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न:-1. अजा नवीन-स्वीकृति आदेश क्र./आ.जा.का./पी.एम.एस /1274458  
दिनांक 11.01.2021

*Schubert*  
23/3/2021

डॉ.आर.एस. देवड़ा

प्राचार्य  
शास. स्नात. महाविद्यालय खरगोन  
शा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
खरगोन  
07282-241562



स्वीकृति आदेश क्र./आ.उ.अ.का.पी.एम.एच./1274459

संज्ञक : EPSC - 11/01/2021

**विषय :- पौस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER)**

पौस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति के शर्तनामों एवं शर्तों प्रमुख द्वारा पढाई प्रस्ताव के आधार पर संलग्न सूची अनुसार एच. / (SC) को पौस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृति की जाती है। बजट आवंटन उपलब्ध होने पर योजना अंतर्गत दाय निम्नानुसार कुतियों की स्वीकृति राशि, विधार्थियों की संख्या आदि में इलेक्ट्रॉनिकी प्रणाली के द्वारा पढाई की जायेगी।

वित्तिक वर्ष	: 2019-20
विद्यालय संस्था	: Govt P.G. College Khargone
वर्ग	: SC स्वीकृति प्रकार : New Cases कुल तालमिलित छात्र/छात्राओं की संख्या : 2
स्वीकृति राशि	: 1. निर्वहण राशि : 2400 2. शिक्षण शुल्क सहित दाय 300 Non Refundable अतिरिक्त शुल्क सहित : 6170
कुल	: 8570

सामूहिक संस्था प्रमुख स्वीकृति के उपसंग आहरण हेतु एक अत्यावकीय सम्पदाओं के समूह में जोड़कर संस्था परीक्षण के उपसंग स्वीकृति एवं आहरण हेतु परीक्षा विभाग के जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। यह स्वीकृति विनियमित शर्तों के अधीन जारी की जाती है।

1. यह स्वीकृति विधार्थियों के संस्था में नियमित उपस्थिति (छात्रवृत्ति स्वीकृति दिनांक तथा न्यूनतम 75 प्रतिशत), सशुद्ध अध्ययन और संस्था में अनुसूचित वर्गों के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा ये शर्तें अनुसूची बतल गई जाती हैं एवं संबंधित 75 प्रतिशत उपस्थिति नहीं रहती है, तो उन्हें स्वीकृति रद्द की जायेगी।
2. यह स्वीकृति इस आधार पर जारी की जा रही है की संस्था प्रमुख द्वारा विधार्थियों का परीक्षा शुल्क टी.सी.आर्कैडियन प्रणाली पर के आधार पर लिया गया है। अन्यथा की स्थिति में संस्था प्रमुख इसकी विवरण लिखित रूप में उत्तरदायी होंगे।
3. किसी भी विधार्थी को एक से अधिक छात्रवृत्ति का भुगतान न हो इसके अन्तर्गत ही संस्था प्रमुख का होगा। छात्रवृत्ति के गैरव्यवहार के कारण में पूरे वर्ष की अवधि की अकमूटी छात्र के आवंटन पर में संशय बनाई जायेगी।



Category :- SC  
 [New Cases]



4. छात्रवृत्ति संस्थाओं द्वारा प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत की गई है यह अनारक्षित श्रेणी संस्था प्रमुख/निदेशक संस्था प्रमुख का होगा।
5. छात्रवृत्ति स्वीकृति से पूर्व विद्यार्थी के पिता/अभिभावक के व्यवसाय एवं आय की पुष्टि संस्था प्रमुख द्वारा की जाएगी। मैनेजमेंट कोर्ट से प्रवेशित विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की प्राप्ति नहीं होगी।
6. शासकीय संस्थाओं के संस्था प्रमुख अपने संस्था के छात्रों की छात्रवृत्ति स्वीकृति करने के लिए अधिकृत हैं। अशासकीय संस्थाओं के छात्रों की स्वीकृति नौदल शासकीय संस्था प्रमुख की अनुमति पर नौदल प्रबन्धनों में जिले के कलेक्टर द्वारा एवं नवीनीकरण की प्रकरणा में आदेश जारी कल्याण विभाग के जिला अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जाएगी।
7. छात्रवृत्ति की उक्त स्वीकृति इस आधार पर जारी की जा रही है कि संबंधित संस्था प्रमुख एवं नौदल संस्था प्रमुख (अशासकीय संस्थाओं के मामले में) ने पो. मेट्रिक छात्रवृत्ति नियमों का अंतिम प्रतिपादन किया है एवं उनके द्वारा इस समय में राशन द्वारा समय - समय पर जारी राशन नियम निर्देशों का स्वीकृति से पूर्व पालन किया गया है।
8. विद्यार्थी को वैधानिक दायित्व अंतर्गत में प्राप्त होने वाली संस्था की शिक्षण शुल्क सहित अनिवार्य शुल्क विद्यार्थी द्वारा वैधानिक संस्था से जमा कराया जाएगा। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो आगामी वर्ष की छात्रवृत्ति विद्यार्थी के द्वारा संस्था को शिक्षण शुल्क जमा करने के बाद ही स्वीकृत की जाएगी।

*[Signature]*

सहायक प्रमुख  
 शासकीय प्रशिक्षण संस्थान, खरगोन  
 07282-241562

4 अक्षरका: 30 जा. म. प्र. पी. एम. एल/1274458 /

**प्रतिनिधि-**

1. आचार्य, अनुसूचित जाति शिक्षण विभाग, स्वयंसेवक जेनरल, मीठान, म.प्र.
2. सहायक आचार्य, आदिवासी शिक्षण, जिला - खरगोन
3. प्राचार्य, Govt P G College Khargone

*[Signature]*

सहायक प्रमुख  
 शासकीय प्रशिक्षण संस्थान, खरगोन  
 07282-241562

Checked By: Govt P G College Khargone  
 Designation: District Co-Ordinator

Locked By: Govt P G College Khargone  
 Designation: District Co-Ordinator



कार्यालय, प्राचार्य, शास. स्नातकोत्तर(अग्रणी)महाविद्यालय खरगोन(म.प्र.)

क्रमांक/ 1709 / छात्रवृत्ति/21

खरगोन दिनांक 10.03.2021

प्रति,

सहायक आयुक्त,  
आदिवासी विकास विभाग,  
खरगोन जिला-खरगोन (म.प्र.)

विषय:- आवास सहायता योजना वर्ष 2019-20 की स्वीकृति ।

उपरोक्त विषय में लेख हैं कि, महाविद्यालय में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति के 01 को सत्र 2019-20 के लिए आवास सहायता योजना के अन्तर्गत राशि स्वीकृत कर आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्न:-1. स्वीकृति आदेश क्रमांक/अ.ज./आ.जा.का./पी.एम.एस./142225 खरगोन दिनांक 10.03.2021



डॉ. आर.एस. देवड़ा

प्राचार्य

शास. स्नातकोत्तर(अग्रणी)महाविद्यालय, खरगोन

खरगोन

07282-241562

Sakubh  
28/03/21



अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के आवास सहायता स्वीकृति आदेश

असमांकित संख्या/2019/10/10/142225

KHARGONE दिनांक : 10/03/2021

**विषय :- आवास सहायता के माध्यम प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (Awass Sahayata Sanction Order)**

आवास सहायता नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संशोधनों में प्राप्त प्रस्तावों/अनुभवों के आधार पर संलग्न सूची अनुसार (छात्र/छात्राओं) को आवास सहायता स्वीकृति दी जा रही है। यदि उपरोक्त होने पर स्वीकृति नहीं दी जायेगी। अतः संबंधित संशोधन/सहायक आवेदन/संबंधित संशोधन द्वारा संबंधित के माध्यम से छात्र/छात्राओं को छात्रों में अतिरिक्त के माध्यम से अनुदान किया जायेगा।

वित्तिक संख्या : 2019-20 वित्तिक संस्था : Govt P G College Khargone  
वर्ग : SC स्वीकृति प्रकार : Renewal Cases  
कुल अनुसूचित छात्र/छात्राओं की संख्या : 1 कुल राशि (रुपये में) : 15000

**प्रमाणित किया जाता है कि :-**

1. यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय में प्रवेशित उपस्थिति एवं विद्यार्थी के अंक में रहने, परीक्षाएं उत्तीर्ण और संस्था में अनुसूचित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा विद्यार्थी से आवास सहायता की राशि की जायेगी।
2. विद्यार्थी द्वारा उपरोक्त निम्ने आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है।
3. किसी भी विद्यार्थी छात्र/छात्राओं को दोहरे आवास सहायता का अनुदान नहीं किया जा रहा है।
4. किसी भी गैर-समाजक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
5. विद्यार्थी को मूल विद्यालय तथा विद्यार्थी के विद्यालय की जानकारी का परीक्षण कर लिया गया है। ऐसे विद्यार्थी को छात्र/छात्राओं को आवास सहायता नहीं दी जा रही है जिनके मूल विद्यालय तथा अध्ययन संस्था एक ही स्थानीय विद्यालय एवं मूल विद्यालय तथा विद्यार्थी से विद्यालयता संबंध एक ही विद्यालय में है।
6. शासकीय (सहायता) में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची।

प्रचार्य  
श्री. रजनीश्वरी सर महाविद्यालय,  
खरगोन  
07282-241562





ए संमेलन क्र. 142225 का नवी. एन. एन. 142225

प्रतिलिपि:-

1. महासंचालक, न्यायिक, म.प्र.प.दे.स.
2. आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास विभाग, इन्दौर विभाग, म.प्र.
3. कलेक्टर जिला - KHARGONE
4. जिला कोषाध्यक्ष अफिफरी जिला - KHARGONE, म.प्र.प.दे.स.
5. महासंचालक, आदिवासी विकास, जिला - KHARGONE
6. संबंधित प्राचार्य, Govt P. G. College Khargone District KHARGONE

हस्ताक्षर/मुद्रण  
न्यायिक/संयोजक महासंचालक,  
खरगोन  
07282-241562

कार्यालय, प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर(अग्रणी)महाविद्यालय खरगोन(म.प्र.)

क्रमांक: 11387 / छात्रवृत्ति/20  
प्रति,

खरगोन दिनांक 13.7.2020

सहायक आयुक्त,  
आदिवासी विकास विभाग,  
खरगोन (म.प्र.)


विषय:- सत्र 2019-20 में नियमित रूप से अध्ययनरत् अनुसूचित जाति नवीन छात्र-छात्राओं के आवास सहायता योजना की स्वीकृति ।

उपरोक्त विषय में लेख हैं कि, सत्र 2019-20 में नियमित रूप से अध्ययनरत् अनुसूचित जाति नवीन 4 छात्र/छात्राओं की आवास सहायता योजना की स्वीकृति आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्न:- स्वीकृति आदेश क्रमांक/अ.ज./आ.जा.का./पी.एम.एस./134305 खरगोन दिनांक  
23.04.2020

Sebaka  
16/7/20

OR

  
प्राचार्य  
शा.स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
खरगोन  
इ.एस.ए. रोड, खरगोन-2  
प्राचार्य  
शास. स्नात. महाविद्यालय खरगोन



Sanction Order : 134305 For Academic Year : 2019-20

## अनुसूचित जाति/जनजाति के आवास सहायता स्वीकृति आदेश

क्रमांक/अ.ज./आ.जा.ब.पौ.एम.एस/134305

KHARGONE, दिनांक :-23/04/2020

## विषय :- आवास सहायता के माध्यम प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (Awass Sahayata Sanction Order)

आवास सहायता नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों/जानकारी के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र/छात्राओं को आवास सहायता स्वीकृत की जा रही है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान,कार्यालय सहायक आयुक्त/जिला संयोजक द्वारा कोषालय के माध्यम से छात्र/छात्राओं के खातों में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

वैशेषिक वर्ष : 2019-20 शिक्षण संस्था : Govt P G College Khargone  
वर्ग : SC स्वीकृति प्रकार : Fresh Cases  
कुल सामान्यित छात्र/छात्राओं की संख्या : 4 कुल राशि (रुपये में) : 55000

## प्रमाणित किया जाता है कि :-

1. यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय में निवसित उपस्थिति एवं किराये के आवास में रहने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा विद्यार्थी से आवास सहायता की वसूली की जायेगी।
2. विद्यार्थी द्वारा अपलोड किये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है।
3. किसी भी विद्यार्थी छात्र/छात्राओं को दोहरी आवास सहायता का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
4. किसी भी गैर- स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
5. विद्यार्थी के मूल निवास तथा किराये के निवास की जानकारी का परीक्षण कर लिया गया है। ऐसे किसी भी छात्र/छात्राओं को आवास सहायता नहीं दी जा रही है जिनके मूल निवास तथा अध्ययनरत संस्था एक ही स्थानीय निकाय एवं मूल निवास तथा किराये से निवासरत मकान एक ही निकाय में है।
6. शासकीय छात्रावास में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची।

  
इलाहाबाद  
शा.सहायता/अ.ज.आ.जा.ब.पौ.एम.एस.विद्यालय,  
खरगोन  
07282-241562

Govt P G College Khargone District :KHARGONE Local Body: Nagar Palika, KHARGONE

Sanction Order : 134305 For Academic Year : 2019-20


Locked  
Category: SC  
[Fresh Cases]



सं. क्रमांक/आ.जा.कव./पी.एम.एस/134305 /

प्रतिलिपि:-

1. महासेवाकार ग्वालियर, मध्यप्रदेश
2. आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास विभाग, स्वामला हिल्स, भोपाल, म.प्र.
3. कलेक्टर जिला :-KHARGONE
4. जिला कोषालय अधिकारी जिला : KHARGONE, मध्यप्रदेश
5. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला :- KHARGONE
6. संबंधित प्राचार्य, Govt P G College Khargone District: KHARGONE

  
हस्ताक्षर एवं पत्रमुद्रा  
श्री. राजेश कुमार शर्मा  
अधीक्षक अधिकारी, जिला KHARGONE,  
खर्गोन  
07282-241562



E-mail:- hegpgckhr@mp.gov.in  
Phone No.:- +91-7282-241562  
Fax No.:- +91-7282-2419 63

**कार्यालय, प्राचार्य शासकीय स्नातकोत्तर (अग्रणी) महाविद्यालय, खरगोन (म.प्र.)**

क्रमांक/1389/ छात्रवृत्ति/2020

दिनांक 13/07/2020

प्रति,

सहायक आयुक्त,  
आदिवासी विकास विभाग,  
खरगोन (म.प्र.)

विषय :- सत्र 2019-20 में नियमित रूप से अध्ययनरत् अनुसूचित जाति नवीन छात्र/छात्राओं के आवास सहायता योजना की स्वीकृति।

उपरोक्त विषय एवं सन्दर्भानुसार लेख है कि, सत्र 2019-20 में नियमित रूप से अध्ययनरत् अनुसूचित जाति नवीन 09 छात्र-छात्राओं की आवास सहायता योजना की स्वीकृति आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्न:- स्वीकृति आदेश क्रमांक/अ.आ./आ.जा.का./पी.एम.एस./136681 खरगोन दिनांक 10.07.2020।

*Sachin*  
7/6/20

*[Signature]*  
डॉ. आर.एस. देवड़ा  
प्राचार्य  
शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरगोन  
खरगोन  
07282-241562



## अनुसूचित जाति जनजाति के आवास सहायता स्वीकृति आदेश

संकेत क्र./आ.ज.का.पी.एम.एस./136681

KHARGONE, दिनांक -19/07/2020

## आवास सहायता के गान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (Awas Sahayata Sanction Order)

आवास सहायता नवीन नियम 2010 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों/आवेदनों के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र/छात्राओं को आवास सहायता स्वीकृत की जा रही है। बचत उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान, कार्यालय सहायक आयुक्त/जिला संयोजक द्वारा कोषालय के माध्यम से छात्र/छात्राओं के खातों में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

वर्ष : 2019-20 शिक्षण संस्था : Govt P G College Khargone  
 श्रेणी : SC स्वीकृति प्रकार : Fresh Cases  
 निम्नलिखित छात्र/छात्राओं की संख्या : 9 कुल राशि (रुपये में) : 128750

## निम्नलिखित किया जाता है कि :-

1. यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय में नियमित उपस्थिति एवं किराये के आवास में रहने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा विद्यार्थी से आवास सहायता की पहली की जायेगी।
2. विद्यार्थी द्वारा अपलोड किये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है।
3. किसी भी विद्यार्थी छात्र/छात्राओं को दोहरी आवास सहायता का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
4. किसी भी गैर- स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
5. विद्यार्थी के मूल निवास तथा किराये के निवास की जानकारी का परीक्षण कर लिया गया है। ऐसे किसी भी छात्र/छात्राओं को आवास सहायता नहीं दी जा रही है जिनके मूल निवास तथा अध्ययनरत संस्था एक ही स्थानीय निकाय एवं मूल निवास तथा किराये से निवासरत मकान एक ही निकाय में है।
6. शासकीय छात्रावास में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची।

  
 राज्यपाल  
 या स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
 रीवा, KHARGONE  
 07282-241562



प्र.क्रमांक/आ.जा.का.पी.एस.एस/136681 /

**प्रतिलिपि:-**

1. महासेवाकार ग्वाथियर, मध्यप्रदेश
2. आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास विभाग, श्यामला हिल्स, ओपन, म.प्र.
3. कलेक्टर जिला :-KHARGONE
4. जिला कोषालय अधिकारी जिला : KHARGONE, मध्यप्रदेश
5. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला :- KHARGONE
6. संबंधित प्राचार्य, Govt P G College Khargone District: KHARGONE

  
हस्ताक्षर एवं पदसूच  
शा. 2-महासेवाकार ग्वाथियर,  
स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला: KHARGONE  
07282-241562

कार्यालय, प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर (अग्रणी) महाविद्यालय खरगोन (म.प्र.)

क्रमांक: / 1393 / छात्रवृत्ति/20

खरगोन दिनांक 13/07/2020

प्रति,

सहायक आयुक्त,  
आदिवासी विकास विभाग,  
खरगोन (म.प्र.)

विषय:- सत्र 2019-20 में नियमित रूप से अध्ययनरत् अनुसूचित जाति नवीन छात्र-छात्राओं के आवास सहायता योजना की स्वीकृति ।

उपरोक्त विषय में लेख हैं कि, सत्र 2019-20 में नियमित रूप से अध्ययनरत् अनुसूचित जाति नवीन 22 छात्र/छात्राओं की आवास सहायता योजना की स्वीकृति आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्न:- स्वीकृति आदेश क्रमांक/अ.ज./आ.जा.का./पी.एम.एस./134453 खरगोन दिनांक  
01.05.2020

Selakh  
7/7/20

OLC

leone

डॉ.आर.एस. देवड़ा

प्राचार्य

शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरगोन

खरगोन

07532-241562





## अनुमोदित जाति/ जनजाति के आवास सहायता स्वीकृति आदेश

क्रमांक/म.ज./आ.जा.का.पी.एम.एस./134453

KHARGONE, दिनांक :-01/05/2020

## विषय :- आवास सहायता के मान्य प्रकारों का स्वीकृति आदेश (Awass Sahayata Sanction Order)

आवास सहायता नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों/जानकारी के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र/छात्राओं को आवास सहायता स्वीकृत की जा रही है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान,कार्यालय सहायक आयुक्त/जिल्ह संयोजक द्वारा कोषालय के माध्यम से छात्र/छात्राओं के खाते में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जावेगा।

वैश्विक वर्ष : 2019-20 शिक्षण संस्था : Govt P.G. College Khargone  
वर्ग : SC स्वीकृति प्रकार : Fresh Cases

कुल सम्बन्धित छात्र/छात्राओं की संख्या : 22 कुल राशि (रुपये में) : 318750

## प्रमाणित किया जाता है कि :-

1. यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय में नियमित उपस्थिति एवं किराये के आवास में रहने, संतोषपद अध्ययन और संख्या में अनुपस्थित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जावेगी तथा विद्यार्थी से आवास सहायता की वसूली की जावेगी।
2. विद्यार्थी द्वारा उपलब्ध किये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है।
3. किसी भी विद्यार्थी छात्र/छात्राओं को दोहरी आवास सहायता का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
4. किसी भी गैर- स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
5. विद्यार्थी के मूल निवास तथा किराये के निवास की जानकारी का परित्थन कर लिया गया है। ऐसे किसी भी छात्र/छात्राओं को आवास सहायता नहीं दी जा रही है जिनके मूल निवास तथा अध्ययनरत संस्था एक ही स्थानीय निवास एवं मूल निवास तथा किराये से निवासरत मकान एक ही निकाय में है।
6. शासकीय छात्रावास में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची।

  
सहायक आयुक्त  
कोषालय/सहायक आयुक्त/जिल्ह संयोजक,  
खरगोन  
07282-241502



प.क्रमांक/आ.जा.का.पी.एम.एस/134453 /

**प्रतिलिपि:-**

1. महालेखाकार ब्यालियर, मध्यप्रदेश
2. आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास विभाग, श्यामला हिंस, भोपाल, म.प.
3. कलेक्टर जिला -KHARGONE
4. जिला कोषालय अधिकारी जिला : KHARGONE, मध्यप्रदेश
5. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला :- KHARGONE
6. संबंधित प्राचार्य, Govt P G College Khargone District: KHARGONE

  
दस्तावेज एवं परमुद्रा  
स्वीकारात्मकता प्रमाणित, जिला -KHARGONE  
छरगोन  
07282-241562

कार्यालय, प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर(अग्रणी)महाविद्यालय खरगोन(म.प्र.)

क्रमांक:/ 1392 /छात्रवृत्ति/20

खरगोन दिनांक 13/07/2020

प्रति,


सहायक आयुक्त,  
आदिवासी विकास विभाग,  
खरगोन (म.प्र.)

विषय:- सत्र 2019-20 में नियमित रूप से अध्ययनरत् अनुसूचित जाति नवीन छात्र-छात्राओं के आवास सहायता योजना की स्वीकृति ।

उपरोक्त विषय में लेख हैं कि, सत्र 2019-20 में नियमित रूप से अध्ययनरत् अनुसूचित जाति नवीन 26 छात्र/छात्राओं की आवास सहायता योजना की स्वीकृति आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्न:- स्वीकृति आदेश क्रमांक/अ.ज./आ.जा.का./पी.एम.एस./134319 खरगोन दिनांक 24.04.2020

Schubh  
7/7/20  
olc

  
डॉ. आर. एस. वैद्य  
प्राचार्य  
शा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय  
खरगोन  
07282-241562

Sanction Order : 134319 For Academic Year : 2019-20

अनुसूचित जाति/जनजाति को आवास सहायता स्वीकृति आदेश

KHARGONE, दिनांक : 24/04/2020

सं.आ.जा.का./पी.एम.एस./134319

आवास सहायता के माध्यम प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (Awass Sahayata Sanction Order)

आवास सहायता नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित सत्यापनों से प्राप्त प्रत्यावर्तनकारी के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र/छात्राओं को आवास सहायता स्वीकृत की जा रही है। उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान,वर्षागत सहायक आयुक्त/जिना संकेतक द्वारा कोषालय के माध्यम से छात्र/छात्राओं के खाते में जीआरडी के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

वर्ष : 2019-20 शिक्षण संस्था : Govt P G College Khargone  
श्रेणी : SC स्वीकृति प्रकार : Fresh Cases

विद्यत छात्र/छात्राओं की संख्या : 26 कुल राशि (रुपये में) : 367500

ध्यान दिया जाता है कि :-

यदि स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय में नियमित उपस्थिति एवं किराये के आवास में रहने, सतीषपुर अधिवसन और संस्था में अनुपस्थित रहने के आधार पर जारी की गई है तो छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा विद्यार्थी से आवास सहायता की वसूली की जायेगी।

विद्यार्थी द्वारा अपनाए किये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है।

किन्ती भी विद्यार्थी छात्र/छात्राओं को दोहरी आवास सहायता का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

किन्ती भी गैर- स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।

विद्यार्थी के मूल निवास तथा किराये के निवास की जानकारी का परीक्षण कर लिया गया है। ऐसे किन्ती भी छात्र/छात्राओं को आवास सहायता नहीं दी जा रही है, जिनके मूल निवास तथा अधिवसन संस्था एक ही स्थानीय निकाय एवं मूल निवास तथा किराये से निवासरत मकान एक ही निकाय में है।

आवास सहायता में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।

न : उपरोक्तानुसार सूची।

  
प्रमाणित एवं जारी  
श्री. स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
खर्गोण, खर्गोण - KHARGONE  
07282-241562

Govt P G College Khargone District :KHARGONE Local Body: Nagar Palika, KHARGONE

Locked

Category: SC

Sanction Order : 134319 For Academic Year : 2019-20

[Fresh Cases]



सं/ज.जा.क.पी.एम.एस/134319/

लिपि:-

1. महाभेयाकर ग्वानियर, मध्यप्रदेश
2. आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास विभाग, श्यामला हिल्स, भोपाल, म.प्र.
3. कलेक्टर जिला :-KHARGONE
4. जिला कोषालय अधिकारी जिला : KHARGONE, मध्यप्रदेश
5. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला -> KHARGONE
6. संबंधित प्राचार्य, Govt P G College Khargone District: KHARGONE

  
हस्ताक्षर एवं फिदमूदा  
स्वीकृतकृत्य अधीक्षक, जिला -KHARGONE  
07282-241562

कार्यालय, प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर(अग्रणी)महाविद्यालय खरगोन(म.प्र.)

क्रमांक: / 1388 / छात्रवृत्ति/20

खरगोन दिनांक 13/04/2020

प्रति,

सहायक आयुक्त,  
आदिवासी विकास विभाग,  
खरगोन (म.प्र.)

विषय:- सत्र 2019-20 में नियमित रूप से अध्ययनरत् अनुसूचित जाति नवीन छात्र-छात्राओं के आवास सहायता योजना की स्वीकृति ।

उपरोक्त विषय में लेख हैं कि, सत्र 2019-20 में नियमित रूप से अध्ययनरत् अनुसूचित जाति नवीन 269 छात्र की आवास सहायता योजना की स्वीकृति आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्न:- स्वीकृति आदेश क्रमांक/अ.ज./आ.जा.का./पी.एम.एस./134212 खरगोन दिनांक  
22.04.2020

*Schubh*  
76/7/20

b/c

*Prakash*  
प्राचार्य  
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
खरगोन  
शास. स्नात. महाविद्यालय खरगोन



## अनुसूचित जाति/ जनजाति के आवास सहायता स्वीकृति आदेश

क्रमसं/अ.ज./आ.ज.का./पी.एम.एस./134212

KHARGONE, दिनांक :-22/04/2020

## विषय :- आवास सहायता के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (Awass Sahayata Sanction Order)

आवास सहायता नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों/जानकारी के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र/छात्राओं को आवास सहायता स्वीकृत की जा रही है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान,कार्यालय सहायक आयुक्त/जिला संयोजक द्वारा कोषालय के माध्यम से छात्र/छात्राओं के खाते में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जायेगा।

वैधानिक वर्ष : 2019-20 शिक्षण संस्था : Govt P G College Khargone.

वर्ग : SC स्वीकृति प्रकार : Fresh Cases

कुल सम्मानित छात्र/छात्राओं की संख्या : 269 कुल राशि (रुपये में) : 3835000

## प्रमाणित किया जाता है कि :-

1. यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय में नियमित उपस्थिति एवं किराये के आवास में रहने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा विधार्थी से आवास सहायता की वसूली की जायेगी।
2. विधार्थी द्वारा अपलोड किये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है।
3. किसी भी विधार्थी छात्र/छात्राओं को दोहरी आवास सहायता का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
4. किसी भी गैर- स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
5. विधार्थी के मूल निवास तथा किराये के निवास की जानकारी का परीक्षण कर लिया गया है। ऐसे किसी भी छात्र/छात्राओं को आवास सहायता नहीं दी जा रही है जिनके मूल निवास तथा अध्ययनरत संस्था एक ही स्थानीय निकाय एवं मूल निवास तथा किराये से निवासरत गंतव्य एक ही निकाय में है।
6. शासकीय छात्रावास में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची।

  
 प्राचार्य  
 शा. रमेशचंद्रा सिंह महाविद्यालय,  
 खरगोन  
 स्वीकृतकर्ता अधिकारी, किराये KHARGONE  
 07282-241582



प. प्रस/क/अ.जा.का.पी.एम.एस/134212 /

प्रतिलिपि:-

1. महासंचालक स्वामिन्, मध्यप्रदेश
2. आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास विभाग, श्यामला हिल्स, भोपाल, म.प्र.
3. कलेक्टर जिला :-KHARGONE
4. जिला बोधालय अधिकारी जिला : KHARGONE, मध्यप्रदेश
5. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला :- KHARGONE
6. संबंधित प्राचार्य, Govt P G College Khargone District: KHARGONE

  
प्राचार्य  
शा.स्वातंत्र्य मंदिर, भोपाल,  
स्वीकृत अधिकारी, जिला: KHARGONE  
07282-241562



कार्यालय, प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर(अग्रणी) महाविद्यालय खरगोन(म.प्र.)

क्रमांक:/ 139 / छात्रवृत्ति/20

खरगोन दिनांक 13/07/2020

प्रति,

सहायक आयुक्त,  
आदिवासी विकास विभाग,  
खरगोन (म.प्र.)

विषय:- सत्र 2019-20 में नियमित रूप से अध्ययनरत् अनुसूचित जाति नवीनीकरण छात्र-छात्राओं के आवास सहायता योजना की स्वीकृति ।

उपरोक्त विषय में लेख हैं कि, सत्र 2019-20 में नियमित रूप से अध्ययनरत् अनुसूचित जाति नवीनीकरण 2 छात्र की आवास सहायता योजना की स्वीकृति आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्न:- स्वीकृति आदेश क्रमांक/अ.ज./आ.जा.का./पी.एम.एस./134304 खरगोन दिनांक  
23.04.2020

Sabub  
7/6/20  
o/c

प्राचार्य  
शा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
खरगोन  
शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरगोन



अनुसूचित जाति/जनजाति के आवास सहायता स्वीकृति आदेश

क्रमांक/अ.ज./आ.जा.का./पी.एम.एस./134304

KHARGONE, दिनांक -23/04/2020

विषय :- आवास सहायता के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (Awas Sahayata Sanction Order)

आवास सहायता नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों/जानकारी के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र/छात्राओं को आवास सहायता स्वीकृत की जा रही है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान, कार्यालय सहायक आयुक्त/जिला संयोजक द्वारा कोषालय के माध्यम से छात्र/छात्राओं के खाते में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जावेगा।

वैधानिक सत्र : 2019-20 शिक्षण संस्था : Govt P G College Khargone

वर्ग : SC स्वीकृति प्रकार : Renewal Cases

कुल सामान्यित छात्र/छात्राओं की संख्या : 2 कुल राशि (रुपये में) : 30000

प्रमाणित किया जाता है कि :-

1. यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय में नियमित उपस्थिति एवं किराये के अलावा में रहने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा विद्यार्थी से आवास सहायता की वसूली की जावेगी।
2. विद्यार्थी द्वारा अपलोड किये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है।
3. किसी भी विद्यार्थी छात्र/छात्राओं को दोहरी आवास सहायता का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
4. किसी भी गैर- स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
5. विद्यार्थी के मूल निवास तथा किराये के निवास की जानकारी का परीक्षण कर लिया गया है। ऐसे किसी भी छात्र/छात्राओं को आवास सहायता नहीं दी जा रही है जिनके मूल निवास तथा अध्ययनरत संस्था एक ही स्थानीय निवास एवं मूल निवास तथा किराये से निवासरत मकान एक ही निवास में है।
6. शासकीय छात्रावास में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची।

  
प्राचार्य  
शा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
खोसपुरावाडी प्रतियन्त्री, खर्गोण, KHARGONE  
07282-241562



प्र.असंक्र/आ.जा.का./पी.एम.एस/134304 /

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार ग्वालियर, मध्यप्रदेश
2. आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास विभाग, श्यामला हिल्स, भोपाल, म.प्र.
3. कलेक्टर जिला :-KHARGONE
4. जिला कोषालय अधिकारी जिला : KHARGONE, मध्यप्रदेश
5. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला :- KHARGONE
6. संबंधित प्राचार्य, Govt P G College Khargone District: KHARGONE

  
प्राचार्य  
शा. स्वातंत्र्य महाविद्यालय,  
हस्तामल, पूरु, म.प्र.  
स्वीकृतकर्ता अधिकारी/2019-20/1562  
जिला:-KHARGONE



E-mail:- hepgckhr@mp.gov.in  
Phone No.:- +91-7282-241562  
Fax No.:- +91-7282-2419 63

**कार्यालय, प्राचार्य शासकीय स्नातकोत्तर (अग्रणी) महाविद्यालय, खरगोन (म.प्र.)**

क्रमांक/ 1390/ छात्रवृत्ति/2020

दिनांक 13/07/2020

प्रति,

सहायक आयुक्त,  
आदिवासी विकास विभाग,  
खरगोन (म.प्र.)

विषय :- सत्र 2019-20 में नियमित रूप से अध्ययनरत् अनुसूचित जाति नवीनीकरण छात्र/छात्राओं के आवास सहायता योजना की स्वीकृति।

उपरोक्त विषय एवं सन्दर्भानुसार लेख है कि, सत्र 2019-20 में नियमित रूप से अध्ययनरत् अनुसूचित जाति नवीनीकरण 10 छात्र-छात्राओं की आवास सहायता योजना की स्वीकृति आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्न:- स्वीकृति आदेश क्रमांक/अ.आ./आ.जा.का./पी.एम.एस./136678 खरगोन दिनांक 10.07.2020।

*Selach*  
7/7/20

*Deve*  
डॉ. आर.एस. देवड़ा  
प्राचार्य  
शा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
खरगोन  
07282-241562

o/c



Sanction Order : 136678 For Academic Year : 2019-20

## अनुसूचित जाति/जनजाति के आवास सहायता स्वीकृति आदेश

KHARGONE, दिनांक :- 16/07/2020

क्रमांक/अ.ज./आ.जा.कॉ./पी.एन.एस./136678

## विषय :- आवास सहायता के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (Awass Sahayata Sanction Order)

आवास सहायता नीति नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों/जानकारी के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र/छात्राओं को आवास सहायता स्वीकृत की जा रही है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान, कार्यालय सहायक आयुक्त/जिला संयोजक द्वारा कोषालय के माध्यम से छात्र/छात्राओं के खातों में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

वैधानिक तंत्र : 2019-20 शिक्षण संस्था : Govt P G College Khargone

वर्ग : SC स्वीकृति प्रकार : Renewal Cases

कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 10 कुल राशि (रुपयें में) : 146250

## प्रमाणित किया जाता है कि :-

1. यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय में नियमित उपस्थिति एवं किराये के आवास में रहने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुसूचित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा विद्यार्थी से आवास सहायता की वसूली की जायेगी।
2. विद्यार्थी द्वारा अपलोड किये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है।
3. किसी भी विद्यार्थी छात्र/छात्राओं को दोहरी आवास सहायता का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
4. किसी भी गैर- स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
5. विद्यार्थी के मूल निवास तथा किराये के निवास की जानकारी का परीक्षण कर लिया गया है। ऐसे किसी भी छात्र/छात्राओं को आवास सहायता नहीं दी जा रही है जिनके मूल निवास तथा अध्ययनरत संस्था एक ही स्थानीय निकाय एवं मूल निवास तथा किराये से निवासरत मकान एक ही निकाय में है।
6. शासकीय आवास में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची।

  
 प्राचार्य  
 डॉ. स्वातंत्र्य महाविद्यालय,  
 खर्गोण  
 07282-241552



प.क्रमांक/आ.जा.का./पी.एम.एस/136678 /

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार कार्यालय, मध्यप्रदेश
2. आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास विभाग, श्यामला हिल्स, भोपाल, म.प्र.
3. कलेक्टर जिला :-KHARGONE
4. जिला कोषालय अधिकारी जिला : KHARGONE, मध्यप्रदेश
5. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला :- KHARGONE
6. संबंधित प्राचार्य, Govt P G College Khargone District: KHARGONE

*Deep*  
प्राचार्य  
का.इ.बा.प्र.को.न.म.वि.वि.सं.  
खरगोने  
स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला :- KHARGONE  
07282

कार्यालय, प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर(अग्रणी)महाविद्यालय खरगोन(म.प्र.)

क्रमांक: /1394 /छात्रवृत्ति/20

खरगोन दिनांक 13/07/2020

प्रति,

सहायक आयुक्त,  
आदिवासी विकास विभाग,  
खरगोन (म.प्र.)

विषय:- सत्र 2019-20 में नियमित रूप से अध्ययनरत् अनुसूचित जाति नवीनीकरण छात्र-छात्राओं के आवास सहायता योजना की स्वीकृति ।

उपरोक्त विषय में लेख हैं कि, सत्र 2019-20 में नियमित रूप से अध्ययनरत् अनुसूचित जाति नवीनीकरण <sup>16</sup>/~~22~~ छात्र/छात्राओं की आवास सहायता योजना की स्वीकृति आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्न:- स्वीकृति आदेश क्रमांक/अ.ज./आ.जा.का./पी.एम.एस./134458 खरगोन दिनांक 01.05.2020

Schaub  
16/7/20

o/c

Beare

डॉ.आर.एस. देवड़ा

प्र प्राचार्य

शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरगोन

खरगोन  
07282-241562

## अनुसूचित जाति/जनजाति के आवास सहायता स्वीकृति आदेश

उपसंचालक/अ.ज./आ.जा.का./पी.एम.एस./134458

KHARGONE, दिनांक :-01/05/2020

## विषय :- आवास सहायता के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (Awas Sahayata Sanction Order)

आवास सहायता नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों/जानकारी के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र/छात्राओं को आवास सहायता स्वीकृत की जा रही है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान, कर्यालय सहायक आयुक्त/जिला संयोजक द्वारा क्षेत्राध्यक्ष के माध्यम से छात्र/छात्राओं के खातों में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

वैधानिक सत्र : 2019-20 शिक्षण संस्था : Govt P G College Khargone

वर्ग : SC स्वीकृति प्रकार : Renewal Cases

कुल सम्मानित छात्र/छात्राओं की संख्या : 16 कुल राशि (रुपये में) : 237500

## ध्यानित किया जाता है कि :-

1. यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय में नियमित उपस्थिति एवं किराये के आवास में रहने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुसूचित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा विद्यार्थी से आवास सहायता की वसूली की जायेगी।
2. विद्यार्थी द्वारा अपलोड किये जायसक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है।
3. किसी भी विद्यार्थी छात्र/छात्राओं को दोहरा आवास सहायता का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
4. किसी भी गैर- स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
5. विद्यार्थी के मूल निवास तथा किराये के निवास की जानकारी का परीक्षण कर लिया गया है। ऐसे किसी भी छात्र/छात्राओं को आवास सहायता नहीं दी जा रही है जिनके मूल निवास तथा अध्ययन संस्था एक ही स्थानीय निवास एवं मूल निवास तथा किराये से निवासगत मूल्य एक ही निम्न में है।
6. शसस्त्रिय छात्रावास में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची।

  
 प्राचार्य  
 शा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय  
 खर्गोण नगरपालिका, खर्गोण- KHARGONE  
 07232-241562





प्र.क्रमांक/आ.जा.का./पी.एम.एस/134458 /

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार कार्यालय, मध्यप्रदेश
2. आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास विभाग, श्यामला हिल्स, ओपास, म.प्र.
3. कलेक्टर जिला :-KHARGONE
4. जिला कोषालय अधिकारी जिला : KHARGONE, मध्यप्रदेश
5. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला :- KHARGONE
6. संबंधित प्राचार्य, Govt P G College Khargone District: KHARGONE

  
श्री स्वर्णजीत सिंह पदमुदा  
स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला :-KHARGONE  
07282-241562

कार्यालय, प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर(अग्रणी)महाविद्यालय खरगोन(म.प्र.)

क्रमांक:/ 1386 /छात्रवृत्ति/20  
प्रति,

खरगोन दिनांक 13/04/2020

सहायक आयुक्त,  
आदिवासी विकास विभाग,  
खरगोन (म.प्र.)

विषय:- सत्र 2019-20 में नियमित रूप से अध्ययनरत् अनुसूचित जाति नवीनीकरण छात्र-छात्राओं के आवास सहायता योजना की स्वीकृति ।

उपरोक्त विषय में लेख हैं कि, सत्र 2019-20 में नियमित रूप से अध्ययनरत् अनुसूचित जाति नवीनीकरण 220 छात्र की आवास सहायता योजना की स्वीकृति आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्न:- स्वीकृति आदेश क्रमांक/अ.ज./आ.जा.का./पी.एम.एस./134211 खरगोन दिनांक  
22.04.2020

*Schubh*  
7/6/20  
O/C

डॉ. आर. एस. देवड़ा  
प्राचार्य  
शा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
प्राचार्य  
शास. स्नात. महाविद्यालय खरगोन

Govt P G College Khargone District :KHARGONE Local Body: Nagar Palika, KHARGONE

Locked  
Category: SC  
[Renewal Cases]



Sanction Order : 134211 For Academic Year : 2019-20

अनुसूचित जाति/ जनजाति के आवास सहायता स्वीकृति आदेश

KHARGONE, दिनांक :22/04/2020

क्रमांक/अ.ज./आ.जा.क./पी.एम.एस./134211

विषय :- आवास सहायता के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (Awas Sahayata Sanction Order)

आवास सहायता नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों/जानकारी के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र/छात्राओं को आवास सहायता स्वीकृत की जा रही है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का मुग्तान,कार्यलय सहायक आयुक्त/जिला संयोजक द्वारा कोषालय के माध्यम से छात्र/छात्राओं के खातों में ऑनलाइन के माध्यम से मुग्तान किया जावेगा।

वैशेषिक वर्ष : 2019-20 शिक्षण संस्था : Govt P G College Khargone  
वर्ग : SC स्वीकृति प्रकार : Renewal Cases  
कुल आवेदनित छात्र/छात्राओं की संख्या : 220 कुल राशि (रुपये में) : 3272500

प्रमाणित किया जाता है कि :-

1. यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय में नियमित उपस्थिति एवं किराये के आवास में रहने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा विद्यार्थी से आवास सहायता की वसूली की जायेगी।
2. विद्यार्थी द्वारा अपलोड किये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है।
3. किसी भी विद्यार्थी छात्र/छात्राओं को दोहरी आवास सहायता का मुग्तान नहीं किया जा रहा है।
4. किसी भी गैर- स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
5. विद्यार्थी के मूल निवास तथा किराये के निवास की जानकारी का परिष्करण कर लिया गया है। ऐसे किसी भी छात्र/छात्राओं को आवास सहायता नहीं दी जा रही है जिनके मूल निवास तथा अध्ययन संस्था एक ही स्थानीय निकाय एवं मूल निवास तथा किराये से निवासरत मकान एक ही निकाय में है।
6. शसकीय छात्रालय में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची।

हस्ताक्षर प्राचार्य  
श्री. नारायण सिंह, महाविद्यालय,  
खर्गोन  
07282-241562

Govt P G College Khargone District :KHARGONE Local Body: Nagar Palika, KHARGONE

Locked

Category: SC

Sanction Order : 134211 For Academic Year : 2019-20

[Renewal Cases]



प्र.सं/आ.जा.का./पी.एम.एस/134211 /

प्रतिलिपि:-

1. महानिवाकर ग्यालियर, मध्यप्रदेश
2. आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास विभाग, श्यामला हिल्स, भोपाल, म.प्र.
3. कलेक्टर जिला :-KHARGONE
4. जिला बोधालय अधिकारी जिला : KHARGONE, मध्यप्रदेश
5. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला :- KHARGONE
6. संबंधित प्राचार्य, Govt P G College Khargone District: KHARGONE

प्राचार्य  
शा.स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
हस्ताधार कच्छदेगुडा  
07282-241562  
स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला:-KHARGONE